



सत्यमेव जयते

6255
2022
INDIA NON JUDICIAL




Government of Uttar Pradesh

Stamp
All Stamp duty should be paid
by Cash or Demand Draft
Issued by UT Stamp Duty Dept.
Lucknow-226001
Phone: 2221111

e-Stamp

Certificate No.	IN-UP3300062000150U
Certificate Issued Date	04-Jul-2022 12:12 PM
Account Reference	HEWIMPACC (SV) 1014125004 FATEHPUR UP-FTF
Unique Doc. Reference	SUBN-UPUP141000045045045000221U
Purchased by	A P SINGH D COLLAGE BINOKI BY BABU YUGRAJ SINGH
Description of Document	Article 35 Lease
Property Description	AS PER DEED
Consideration Price (Rs.)	
First Party	A P SINGH D COLLAGE BINOKI BY BABU YUGRAJ SINGH
Second Party	BABU YUGRAJ SINGH S B KHAGA BY MAIN NYASI A P SINGH
Stamp Duty Paid By	A P SINGH D COLLAGE BINOKI BY BABU YUGRAJ SINGH
Stamp Duty Amount (Rs.)	17,200 (Seventeen Thousand Two Hundred And Eighty only)

सत्यमेव जयते



0005157853

Disclaimer

The authority or the State Emblem should be used only for official use or for a State Emblem, and of their making the authority or the State Emblem and its use for any other purpose is prohibited. The use of the State Emblem for any other purpose is prohibited. The use of the State Emblem for any other purpose is prohibited. The use of the State Emblem for any other purpose is prohibited.

तीज बीड

1. आवेदन संख्या- 202100917007474
2. वार्षिक शुल्क- रुपये 17,280/- चढ़ते की एकमुस्त राशि मुदत 360,000/- तथा वार्षिक बिलिंग रु 12,000 प्रति वर्ष की राशि का न. मुस्त राशि रु 12,000/- जोड़कर रु 4,32,000/- पर 4% की दर से स्टांप रु 17,280/- राशि तदा किला जाता है।
3. शर्तिका का विवरण - धर्म जाकराबाद गांधी रोड, आसानी रु 1.00रुमि का रकम 0.87रुमि रोडपुन रु 1.00रुमि रकम 0.38रुमि है। कुल रकम- 1.00रुमि रु में से 0.87रुमि रु (87रुमि रु रानीटर)
4. समय अवधि 30 वर्ष (दिनांक- 31.01.2021 से 30.01.2051 तक)
5. फटेदा भूमि 30 वर्ष अवधि हेतु एकमुस्त दैय बनसति-रुपये 2,60,000/-
6. वरदा आसानी गांधी रोड फतेहपुर सीमा क्षेत्र के अन्तर्गत है तथा धाम जाकराबाद बस्तर क्षेत्र पर्यन्त- कोटिसागुनीर, तहसील- बिन्दकी व जिला- फतेहपुर (3090) में स्थित है।
7. (क) मूलाधी (प्रथम पक्ष) का नाम व पता -

1. जगत प्रताप सिंह द्वितीय कालेज, बिन्दकी, फतेहपुर द्वारा बन्नु दुर्गराज सिंह सेवा संस्थान, नई बाजार, धामा, फतेहपुर द्वारा मुख्य न्यायी जगत प्रताप सिंह पुत्र स्व. सुरराज सिंह भिवाली- नई बाजार, धामा, जगत- फतेहपुर। जन्मतिथि- 01.01.1972. आधार नं- 613623829822 पैन नं- AABTB5829P मोबाइल नं- 9005125000- प्रथम पक्ष।

(ख) द्वितीय पक्ष का नाम व पता -

बन्नु दुर्गराज सिंह सेवा संस्थान, नई बाजार, धामा, फतेहपुर द्वारा मुख्य न्यायी जगत प्रताप सिंह पुत्र स्व. सुरराज सिंह भिवाली- नई बाजार, धामा, जगत- फतेहपुर। जन्मतिथि- 01.01.1972. आधार नं- 613623829822 पैन नं- AABTB5829P मोबाइल नं- 9005125000 - द्वितीय पक्ष

प्रथम पक्ष 1 व 2 के द्वारा गिन्त राशी के अनुसार द्वितीय पक्ष के हक में तीज बीड निश्चयित व सम्पादित की जाती है-

(Signature)

(Signature)

1. मैं कि प्रथम पक्ष जगज्य प्रताप सिंह पुत्र मन्मथ मुनराज सिंह निवासी- नई बाजार, काण्डा, ताहसील - खाना, जिला- फतेहपुर जिले नाम की जगज्य की वारस विभाग 25.12.2020 को मरदा विदेश विदेशित से परीक्षण करने हेतु परिकृत किया गया है। विदित हो कि स.जातीयता आसानी पर 1189मि०, 1170मि० जगज्य उत्तर 6183 वर्गमी० एर 3807 वर्गमी०, कुल 10000 वर्गमी० एवं उस पर निर्मित भवन का एक भाग जगज्य से कानूनी मालिक / माली व कब्रिज रखी है। शिक्षक अधिकार्य चण्डलकम संवाहन हेतु जगज्य मुख्यध का कार्य किया गया था। उस पर भवन निर्मित कराया गया था। किन्तु उक्त पदवेर्य की पूर्ति न हो पाने के कारण जगज्य मुख्यध पर किसी भी प्रकार का कोई भी पादयकम संवाहित नहीं किया जा रहा है। मुख्यध हर प्रकार के कार से बाहर राया है जिसको द्वितीय पक्ष बन्धु मुनराज सिंह सेवा संवाहन, नई बाजार, काण्डा फतेहपुर द्वारा मुख्य न्यायी जगज्य प्रताप सिंह को फॉर्मली कालोज संवाहन हेतु 30 वर्ष की मरदा के लिए रुपये 12,000/- प्रतिवर्ष के दिभाष से एकमुस्त देय बनवाया पर रुपये 2,50,000/- (दोन लाख साठ हजार रुपये सत्र) में बट्टे पर देने का निर्णय किया। रुपये 2,50,000/- मरदावाक को एकमुस्त इस मरदा-विदेश के निषादन के पूर्व जगज्य पर दिया गया है।

2. यह कि जगज्य मुख्यध को प्रथम पक्ष के द्वारा सकृमिक संवाित कराया जा चुका है एवं उक्त मुख्यध पर धार जगज्य का भवन का निर्माण प्रस्तावित है। जिसमें से ही तक्ष का निर्माण ही चुका है। जगज्य मुख्यध मरदा पर निर्मित भवन को 30 वर्षों के लिए मरदापहीता को विभाग 21.01.2021 से बट्टे पर प्रवाण कर रहा है।

3. यह कि जगज्य मुख्यध/भूमि के सम्बन्ध में कोई भी कानूनी मरदा न्यायालय में लखित नहीं है। जगज्य मरदा 30 वर्षों के लिए अपरिधानीय है। जिले बीच से समाप्त नहीं किया जा सकेगा।

4. यह कि इस समय पक्ष सम्पत्ति इभागतलय अधिधियम 1882 के समी उपबन्धों का जखण मरिष्य से जो भी कानून लागू होया उक्तमा पालन करेये।

5. यह कि मुख्यध/भवन सही प्रकार के धार से गुला है।

6. यह कि प्रथम पक्ष मरदा दाता की मुख्यध और जगज्य पर निर्मित भवन इरदाभरण करने से पहले उक्त सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई भी धन सम्बन्धी उत्तराधामिष्य/वेरदासिध नहीं है।

7. यह कि जगज्य पक्ष उक्त मुख्यध/भवन से संवािता दूसरे कोई धूमि सम्बन्धी कानून तथा प्राणीय/नगर विभाग जो भी लागू हो कानून का पालन करेये।

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

अभिज्ञान सं. 082288877687928


श्री 1

रजिस्ट्रेशन सं. 8238

वर्ष 2022


निष्पादन टैक्निक काट चुनने व समझने सम्बन्धन के प्राप्ति धारा 2(क) व 2(ख) के अन्तर्गत प्रकाशित किया गया है।

श्री 1
अभिज्ञान सं. 082288877687928 के द्वारा अभ्यास प्राप्त किए, पुत्र श्री 1 सं. पुत्रात्मक किए
निष्पादी वि. नई दिल्ली नगरपालिका
अभिज्ञान सं.
प्रकाशित किया।



Handwritten signature


श्री 2
अभिज्ञान सं. 082288877687928 के द्वारा अभ्यास प्राप्त किए, पुत्र श्री 2 सं. पुत्रात्मक किए
निष्पादी वि. नई दिल्ली नगरपालिका
अभिज्ञान सं.
प्रकाशित किया।



Handwritten signature


ने निष्पादन स्वीकार किया। निष्पादी प्रकाशित किया।

श्री 3
अभिज्ञान सं. 082288877687928 के द्वारा अभ्यास प्राप्त किए, पुत्र श्री 3 सं. पुत्रात्मक किए
निष्पादी वि. नई दिल्ली नगरपालिका
अभिज्ञान सं.
प्रकाशित किया।



Handwritten signature: रामेश्वर सिंह

श्री 4
अभिज्ञान सं. 082288877687928 के द्वारा अभ्यास प्राप्त किए, पुत्र श्री 4 सं. पुत्रात्मक किए
निष्पादी वि. नई दिल्ली नगरपालिका
अभिज्ञान सं.
प्रकाशित किया।



Handwritten signature

रजिस्ट्रेशन अधिकारी के द्वारा

ने श्री 1, 2, 3, 4 के अन्तर्गत के निष्पादन अभ्यास निष्पादित किया।

श्री 1, 2, 3, 4 के अन्तर्गत के निष्पादन अभ्यास निष्पादित किया।
08/07/2022

श्री 1, 2, 3, 4 के अन्तर्गत के निष्पादन अभ्यास निष्पादित किया।
08/07/2022



श्री 1

आजकल युवा पिता पिता बुद्धि की दशा में बिना किसी चर्चा व परामर्श के यह बच्चा पिता के नाम पर युवराज सिंह सेना सम्मान नई बाजार, छात्रा फतेहपुर द्वारा गुजरा लक्ष्मी अन्ना प्रमाण सिंह पुत्र राम युवराज सिंह निवासी नई बाजार, छात्रा, बन्नाबाद फतेहपुर (2022) के एक नए कर्मी के रूप में दिख रहा है कि प्रमाण रहे व समय पर काम आवे ।

आपका नाम

Ramkrishna Singh

आपकी पत्नी का नाम

Ramkrishna Singh

रामकृष्ण सिंह

सदर पत्राचार- रामकृष्ण सिंह पुत्र सुरेश सिंह मिश्रा सी बान्नाबाद टासी
 सखुड़ा तहसील बिन्दा की जिला फतेहपुर ।
 मोबा- 7233035573



*Photo
 Ramkrishna
 Singh*

रामकृष्ण सिंह

सदर पत्राचार- प्रमोद कुमार सिंह पुत्र इन्दरजीव सिंह मिश्रा प्रेम
 जमीन, लखनवाड़ा जिला फतेहपुर ।
 मोबा- 8354920408



*Photo
 Pramod
 Singh*

Pr...

आपका नाम- *A.P. Bhawanji*
 आपकी पत्नी का नाम- *Pr...*
 पता- 2771/88
 तहसील बिन्दा की जिला फतेहपुर ।

दिनांक- 04-07-2022

6

आवेदन सं.: 202200877007474

बही संख्या 1 विनय संख्या 0065 के पृष्ठ 71 से 80 तक कुलमातः 0055 पर दिनांक 05/07/2022 को रजिस्ट्रीकृत किया गया।

रजिस्ट्रीकरण अधिकारी के हस्ताक्षर

(Handwritten signature)

मोदिन्द कुमार
उप निबंधक - बिंदकी
फतेहपुर
05/07/2022



- 8. यह कि द्वितीय पक्ष पट्टा प्राप्तकर्ता को इस भूमि/खेत को किसी अन्य निकाय/व्यक्ति को पट्टा (सीज) करने का अधिकार नहीं होगा।
- 9. यह कि द्वितीय पक्ष पट्टा प्राप्तकर्ता अधिन में राष्ट्रीय/राज्यीय निकाय कानून अथवा अन्य भूमि सम्बन्धी कानून द्वारा निर्धारित समस्त कर का भुगतान करने को सिद्ध मान्य होगा।
- 10. इस भू-भाग के मालिकता की सरकारी मालिकता के हिसाब से जो भी स्टाम्प अथि अन्य होगा वह द्वितीय पक्ष पट्टा प्राप्तकर्ता यशु सुरजन सिंह सेवा संस्थान, नई बाजार, जामा, फतेहपुर द्वारा मुख्य न्यायी अमय प्रताप सिंह पुत्र २००० सुरजन सिंह मिश्रा- नई बाजार, जामा, जामा-फतेहपुर के द्वारा देय होगा।
- 11. यह कि यदि निम्नलिखित प्लॉट/खेत में मूल्यांकन या वारिसान 30 वर्ष तक कोई आवृत्ति अथे तो यह कानूनन पलत व अमान्य होगा। पट्टा अथि दिनांक- 31.01.2021 से 30.01.2051 तक (30 वर्ष) प्रलती रहेगी एव दिनांक-31.01.2051 के बाद पलत निरस्त हो जायेगी। पट्टा अथि समाप्त होने के बाद यदि द्वितीय पक्ष नया हो प्रथम पक्ष को सहमति से पुन अपने एक से पट्टा विलेख उपनिबन्धक कार्यालय में प्रकीर्त करा सकता है।
- 12. पट्टा अथि समाप्त होने के उपरान्त द्वितीय पक्ष मल संपत्ति के अतिरिक्त अथल संपत्ति यथा भूमि/खेत में से कूट भी परिवर्तन अथवा अपना अधिकार एवं अति/क्षतिपूर्ति की मांग नहीं करेगा।
- 13. यह कि द्वितीय पक्ष उक्त नूत्रपत्र पर औद्योगिक क्रियाकलाप हेतु आवश्यकतानुसार मकन का निर्माण अथवा निर्मित मकन में परिवर्तन करा सकता है।
- 14. पैमाइश- पुरब से पश्चिम, 103 मीटर, उत्तर से दक्षिण 60 मीटर, कुल भूमि- 8240 वर्गमीटर।
- 15. चौकड़ी- पूरब- सीरम गुफा अथि, पश्चिम- नाली बावतु अथवाहर लाल गुफा का खेत उत्तर-दक्षिण बावतु सीरम गुफा अथि, दक्षिण-अथवाहर लाल गुफा

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]